न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

(पीठासीन अधिकारी – सुश्री मनीषा रेशम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 54/2021 दर्ज तिथिः– 18.06.2021

शिवराम पुत्र धर्मपाल जाति मीना निवासी मचान का पुरा तहसील महवा जिला दौसा

.....प्रार्थी

बनाम

1. तुलसीराम पुत्र धर्मपाल
2. गोपाल पुत्र धर्मपाल
3. मदनमोहन पुत्र धर्मपाल
4. खुशीराम पुत्र तुलसीराम
5. धर्मेन्द्र पुत्र तुलसीराम
6. ओमप्रकाश पुत्र गोपाल

समस्त जाति मीना निवासी मचान का पुरा तहसील महवा जिला दौसा

..... अप्रार्थीगण

उपस्थितः–
प्रार्थी अधिवक्ताः– श्री हरिशंकर सिंह
अप्रार्थी अधिवक्ताः– श्री नरेन्द्र तिवाडी (अप्रार्थी संख्या 01)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

निर्णय तिथि :– 19.05.2025

आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुआ। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि विवादित आराजी खसरा नं. 1945/1871/0.25, 1948/1447/0.27 कुल किता 2 कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर वाके ग्राम मचान का पुरा तहसील महवा जिला दौसा प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 सगे भाई है जो स्व. धर्मपाल की संतान है। उक्त आराजी का विधिवत बंटवारा पूर्व में हो चुका है इसलिये उक्त आराजी से अप्रार्थीगण का कोई संबंध नही है। घटना दिनांक 07.05.2021 के आसपास की है कि प्रार्थी अपने

CamScanner

घर के अन्दर बैठा हुआ था और प्रार्थी को सूचना मिली की अप्रार्थीगण ट्रेक्टर ट्रॉली में घूडा का खाद भरकर प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1945/1871, 1948/1447 में खाद डाल रहे है। प्रार्थी के मौके पर पहुंचकर मना करने पर अप्रार्थीगण नाराज हो गये और प्रार्थी के साथ मारपीट कर दी तथा ऐलानिया धमकी दी कि खसरा नंबर 1945/1871, 1948/1447 में अब सब मिलकर काश्त करेंगे और सीमा खत्म कर देंगे और प्रार्थी को बोने नही देंगे तथा जान से मारने की धमकी दी तथा खेतो की मेडो को तोडकर एक में एक मिला देने की धमकी दी। अप्रार्थीगण द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने तथा प्रार्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी। इसलिये खेतो की सुरक्षार्थ अप्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अंत में निवेदन किया कि दौराने दावा अप्रार्थीगण को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे आराजी 1945/1871, 1948/1447 में प्रार्थी को उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे। कब्जे काश्त में मदाखलत मजाहमत पैदा नही करें। डोल मेड को नही तोडे न तो स्वयं अप्रार्थीगण ऐसा कोई कृत्य करे या न ही किसी अन्य परिजन नोकर आदि से ऐसा कृत्य करावे जिससे प्रार्थी को किसी प्रकार परेशानी पैदा हो अप्रार्थीगण प्रतिबन्धित रहे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से श्री नरेन्द्र तिवाडी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 06 के बावजूद तामील उपस्थित नही आने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील अप्रार्थी संख्या 01 को जबाव प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर दिये जाने के बाद भी जबाव पेश नही करने पर जबाव बंद किया गया।

हमने वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2073–2076 ग्राम मचान का पुरा का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त वर्णित आराजी प्रार्थी की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी की मेडो को तोडकर जबरन कब्जा कर सकते है जिससे प्रार्थी को अपूरनीय क्षति होना प्रमाणित है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

<u>अतः आदेश यह है कि</u> :–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वादपत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता

है कि आराजी खसरा नं. 1945/1871/0.25, 1948/1447/0.27 कुल किता 2 कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर वाके ग्राम मचान का पुरा तहसील महवा जिला दौसा में प्रार्थी के उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नही करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनीषा रेशम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
महवा दौसा

CamScanner